कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

E-mail : ecmpgwl@hotmail.com

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन

ग्वालियर, दिनांक 15.02.09

सर्व–साधारण की जानकारी तथा देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के इच्छुक व्यवसाइयों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2009–10 के लिए आवेदन के माध्यम से निष्पादन उपरांत, शेष बची देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन, केवल टेण्डर के माध्यम से, दिनांक 25 फरवरी 2009 दिन बुधवार को, संबंधित जिलों के जिला मुख्यालय पर किया जायेगा। वर्ष 2009–10 में राज्य में 159 नई विदेशी मदिरा दुकानें खोली जा रही हैं। जिन सभी का निष्पादन टेंडर द्वारा किया जाएगा। इन दुकानों सहित टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु शेष बची देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या तथा उनके वर्ष 2009–10 के लिये आरक्षित मूल्य की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रं.	नाम जिला	दुकानों की संख्या				वर्ष 2009–10 के लिये आरक्षित मूल्य (करोड़ रू. में)
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा		योग	
			पुरानी	नवीन		
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्वालियर	2	1	7	10	7.39
2	शिवपुरी	21	1	9	31	8.59
3	मुरैना	0	0	3	3	0.22
4	भिण्ड	29	5	0	34	6.30
5	दतिया	19	5	5	29	6.25
6	धार	0	0	5	5	0.21
7	झाबुआ	0	0	4	4	0.08
8	अलीराजपुर	0	0	6	6	0.12
9	इन्दौर	19	6	17	42	73.99
10	खरगौन	0	0	5	5	0.10
11	बड़वानी	0	0	2	2	0.12
12	विदिशा	8	1	2	11	5.41
13	रायसेन	4	1	2	7	1.78
14	भोपाल	11	3	7	21	41.51
15	होशंगाबाद	1	0	5	6	2.44
16	बैतूल	0	0	1	1	0.02
17	नरसिंहपुर	6	1	2	9	4.54

18	जबलपुर	16	10	2	28	35.80
19	कटनी	12	4	1	17	10.68
20	मण्डला	4	4	0	8	6.34
21	डिंडौरी	0	0	1	1	0.02
22	छिन्दवाड़ा	21	4	3	28	10.39
23	सिवनी	0	0	1	1	0.02
24	मन्दसौर	5	2	2	9	5.10
25	नीमच	0	0	2	2	0.10
26	रतलाम	6	2	2	10	7.40
27	उज्जैन	11	0	9	20	5.42
28	देवास	6	0	3	9	3.68
29	शाजापुर	0	0	2	2	0.10
30	टीकमगढ़	29	5	2	36	10.73
31	छतरपुर	5	0	4	9	2.48
32	पन्ना	7	0	4	11	0.99
33	सागर	2	0	10	12	2.92
34	दमोह	6	0	4	10	3.23
35	सतना	23	8	2	33	25.50
36	रीवा	15	4	8	27	10.75
37	सीधी	2	1	4	7	2.69
38	सिंगरोली	15	3	2	20	7.75
39	शहडोल	8	3	3	14	4.96
40	अनूपपुर	0	0	2	2	0.07
41	उमरिया	5	0	4	9	1.38
कुल योग		**318**	**74**	**159**	**551**	**317.57**

नोट :— दुकानों की उक्त जानकारी अनुमानित है, जो लगभग सही है। जिले विशेष से दुकानों की सही जानकारी ज्ञात की जा सकती है।

उपरोक्त दुकानों के लिये सभी इच्छुक व्यवसायियों से टेण्डर आमंत्रित हैं। इच्छुक व्यक्ति दुकान का विवरण, चालू दुकानों में मदिरा की खपत, दुकान का आरक्षित मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस, जिस पर टेण्डर भरा जाना है, धरोहर राशि तथा संबंधित अन्य जानकारी, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। इन दुकानों के लिए निर्धारित प्रारूप में टेण्डर प्रपत्र मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से निर्धारित आवेदन शुल्क जो स्थान विशेष के लिये रू. 1500/—, रू. 3000/— या रू. 4500/— प्रति दुकान निर्धारित है, नगद या बैंक ड्राफ्ट इत्यादि से जमा कर दिनांक

16 फरवरी 2009 से दिनांक 24 फरवरी 2009 तक कार्यालयीन समय में व दिनांक 25 फरवरी 2009 को प्रातः 12:00 बजे तक, खरीदे जा सकते हैं। आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् टेण्डर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में दिनांक 24 फरवरी 2009 तक कभी भी कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 25 फरवरी 2009 को दोपहर 14:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। यदि टेण्डरदाता चाहें तो वे दिनांक 20 तथा 24 फरवरी 2009 को कार्यालयीन समय में, उस संभाग के संभागीय उपायुक्त आबकारी कार्यालय में टेण्डर जमा कर सकते हैं। जिस संभाग में वह दुकान स्थित है, अथवा दिनांक 19 तथा 20 फरवरी 2009 को कार्यालयीन समय में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में भी टेण्डर जमा कर सकते हैं।, जमा टेण्डर की उन्हें विधिवत् रसीद दी जायेगी। ऐसे टेण्डर सहित, जिले में प्राप्त अन्य टेण्डर, दिनांक 25 फरवरी 2009 को दोपहर 15:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक संबंधित जिले की जिला समिति के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे।

टेण्डर में युक्तियुक्त ऑफर प्राप्त होने पर, उच्चतम टेण्डरदाता के पक्ष में दुकान स्वीकृत करने की कार्यवाही कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति के द्वारा की जायेगी, अन्यथा प्राप्त ऑफर/टेण्डर पर राज्य शासन के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(अरूण पाण्डेय)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश